

महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा
आदेश

श्री बिशन कुमार, उप-अधीक्षक, मुख्यालय, विकास एवं पंचायत अधिकारी,
चण्डीगढ़, हरियाणा का दिनांक 27.12.2021 से 08.03.2022 तक का 72 दिन का
संशोधित अर्जित अवकाश हरियाणा सिविल सेवाएं (अवकाश) नियम 2016 के
उप-नियम 35 के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है।

चण्डीगढ़ दिनांक
02.03.2022

रमेश चंद्र बिढाण, आई0ए0एस0
महानिदेशक विकास एवं पंचायत अधिकारी,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पू0 क्रमांक ए4-2022 / 22400-3

दिनांक 15.3.2022

इसकी प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक-कम-डी0डी0ओ0, मुख्यालय।
2. श्री बिशन कुमार, उप-अधीक्षक, मुख्यालय।
3. बिल सहायक, मुख्यालय।
4. आई.टी.सेल, मुख्यालय।

22/3/22

SA/II

Ambedkar
22/3/22

Raj

उप-अधीक्षक (प्रशा0-1) 14/3/22
कृते: महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़। R